निर्णय व ईजलास अन्सर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 34/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सुरेश पुत्र स्व॰ श्री हनुमान
2. गिर्राज स्व॰ श्री हनुमान

जाति यादव निवासी ग्राम बल्लूपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी चाकसू तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री ओम प्रकाश सारण तहसील चाकसू जिला जयपुर ।
2. कानाराम पुत्र केसरा
3. कजोड पुत्र कानाराम
4. श्रवण पुत्र काना जाति यादव निवासी ग्राम बल्लूपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर ।
5. छोगालाल पुत्र देवीनारायण
6. अर्जुन पुत्र जगदीश
7. बृजमोहन पुत्र जगदीश जाति यादव निवासी ग्राम बल्लूपुरा, तहसील चाकसू जिला जयपुर ।
8. भगवान सहाय पुत्र देवीनारायण
9. कृष्ण पुत्र कल्याण
10. पार्वती पत्नी स्व॰ श्री कल्याण जाति यादव

निवासी ग्राम बल्लूपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020 एवं दावा संख्या 89/2020 ब उनवानी अर्जुन व अन्य बनाम कानाराम व अन्य को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने।

जिला कलक्टर
जयपुर

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री राकेश कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3 व 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 17.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 57/2020 एवं दावा संख्या 89/2020 ब उनवानी अर्जुन व अन्य बनाम कानाराम व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 11 प्रार्थीगण के साथ होकर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया, लेकिन दिनांक 18.06.2020 को अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 11 ने अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 को प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन निर्माण कराने पर आदामा हो गया। जिस पर प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश की प्रति बताई कि आप मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर निर्माण नही करा सकते। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थीगण को धमकी देते हुये कहा कि ऐसे आदेश तो हमने बहुत देखे है। हम जब चाहेंगे उक्त आदेश को उपखण्ड अधिकारी से निरस्त करा देंगे। तुम्हे क्या पता कि उक्त उपखण्ड अधिकारी तो हमारी जान पहचान का है। दिनांक 18.06.2020 को प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के मध्य हुए विवाद व धमकी की बात को प्रार्थी अपने अधिवक्ता के पास दिनांक 19.06.2020 को बताने के लिए चाकसू कोर्ट में गया और वकील साहब से कहा कि अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 स्थगन होने के बावजूद निर्माण करने पर उतारू है जबकि उन्हें मेरी खातेदारी भूमि पर ऐसा करने का अधिकार नहीं है। आपके द्वारा जो स्थगन आदेश की प्रति दी गई थी जिसके बावजूद निर्माण करने पर तारू है व मुझे गाली गलौच करते है जिस पर मेरे अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को लिख कर मेरे हस्ताक्षर करा कर उपखण्ड को देने गये, तो मैने देखा कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठ कर हंसते हुए बात कर रहे थे। जिसे देख कर मै वापिस वकील साहब के पास आ गया जिसके कुछ देर बाद प्राथी संख्या 2 व 3 मेरी ओर हंसते हुए कहा कि बस दो तीन दिन बाद तुझे देखलेंगे। जिसके बाद उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि तारीख पेशी के दिन देना आज नहीं लूंगा। जिससे प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अप्रार्थी प्रार्थी के स्थगन आदेश को सांठ गांठ कर खारिज कराने पर आमादा है। अप्रार्थी द्वारा दी गई धमकी के आधार पर दिनांक 22.06.2020 को अप्रार्थीगण ने शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया व दिनांक 23.06.2020 को प्रार्थी को दिखाते हुए कहा कि आज तो प्रार्थना पत्र पेश कर दिया और उपखण्ड अधिकारी से बात हो गई है, उसने कहा कि दिनांक 29.06.2020 को प्रार्थीगण को स्थगन आदेश खारिज कर देंगे । अब देखता हूं मुझे निर्माण करने से कोन रोकता है। उक्त बात सुन कर प्रार्थी हैरान हो गया एवं अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिए प्रार्थी को पूर्ण विश्वास हो गया कि उपखण्ड अधिकारी चाकसू से न्याय नहीं मिल सकता । इस कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य सन् 2011 से वाद विवाद चल रहा है जिसमें प्रार्थना पत्र संख्या 19022015 जिस पर उपखण्ड अधिकारी चाकसू द्वारा दिनांक 21.05.2016 को दोनों पक्षकारों को मौका की यथा स्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया हुआ है। जिसकी जानकारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 ने प्रार्थीगण को नहीं होने दी। जबकि प्रार्थीगण का पिता दिनांक 23.01.2016 को फोत हो गया। जिसके कायम मुकाम दिनांक 16.12.2016 को पेश किये गये । उससे पूर्व ही उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 21.05.2016 को ता फैसला कायम कर उक्त प्रार्थना पत्र का दफ्तर कर दिया जिस पर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर तक नहीं दिया। जिसकी

जिला कलक्टर
जयपुर

जानकारी प्रार्थीगण को हाल में दिनांक 23.06.2020 को नकल प्राप्त करने पर हुई। इससे पूर्व जानकारी नहीं थी। उक्त प्रार्थना पत्र जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण को ता फैसला पावन्द कर रख था, जिसें हाल उपखण्ड अधिकारी द्वारा बिना प्रार्थी को सूचना दिये बिना ही अप्रार्थीगण को दिनांक 15.06.2020 को निर्माण की स्वीकृति विधि विरूद्व व कानूनी प्रकिया की अनदेखी करते हुए आदेश दिये। जिससे साफ जाहिर हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी विपक्षीगण से मिले हुए है जिन्होने विधि के प्रावधानों के विरूद्व जाकर एक तरफा बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये अनलीगल आदेश दे दिये । इस कारण प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी से न्याय मिलने की किसी प्रकार की आशा नहीं है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी चाकसू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा व जबाब पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. प्रार्थी के अधिवक्ता की मुख्य दलील है कि उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया जा रहा है और प्रार्थी को बिना सुने ही पीठासीन अधिकारी स्थगन पर आदेश जारी करने को आमादा हो रहे है। अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी के पक्ष में स्थगन जारी किया हुआ है इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करना चाहाता है। उपखण्ड अधिकारी चाकसू के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। उभय पक्ष को गौर से सुनने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

6. उपखण्ड अधिकारी चाकसू को निर्देशित किया जाता है कि जबाब प्रस्तुत किये जाने पर उभय पक्ष की बहस सुन कर गुणावगुण के आधार पर स्थगन पर आदेश पारित किया जावे।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा उपखण्ड अधिकारी चाकसू को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

17/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर